

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णिरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर।
सभी मुख्य अभियंता,
(लघु सिंचाई सहित) झारखण्ड
अपर निदेशक,
भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जमशेदपुर।
निदेशक,
भू-गर्भ निदेशालय, रॉची।
उप समाहर्ता,
राजस्व प्रमण्डल, रॉची।
सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
पुनर्वास पदाधिकारी, झारखण्ड।

विषय:-

दिनांक 01.01.2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग/कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से जारी करने के संबंध में। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक 9472 दिनांक 27.12.18, 3507 दिनांक 03.05.19 एवं विभागीय ज्ञापांक 4288 दिनांक 28.12.18

प्रसंग:-

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 01.01.19 से सभी कार्यालयों में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश की स्वीकृति Online माध्यम से जारी करने हेतु निदेशित किया गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि ऑनलाईन स्थापना आदेश तथा ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन के शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।
इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-

रॉची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख। एवं II / मुख्य अभियंता (मो.),/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशास्त्रिय/सभी सहायक प्रशास्त्रिय/सभी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 1916

रॉची, दिनांक:- 06/06/19

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, HRMS/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

h 6.6.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव।